बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 01 अप्रील, 2022 ई० ।

संख्या:-म०बा०स०-01/2022- 1774/ वि०स० । सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-292 च (1) के तहत वर्ष 2021-22 के लिए गठित महिला एवं बाल विकास समिति का कार्यकाल वर्ष 2022-23 के लिए पुनर्गठन होने तक निम्न प्रकार से विस्तारित किया है :-

1.	**श्रीमती अरूणा देवी**	**स०वि०स०**	**सभापति**
2.	श्रीमती भागीरथी देवी	स०वि०स०	सदस्य
3.	श्रीमती वीणा भारती	स०वि०स०	सदस्य
4.	श्रीमती निशा सिंह	स०वि०स०	सदस्य
5.	सुश्री श्रेयसी सिंह	स०वि०स०	सदस्य
6.	श्रीमती शालिनी मिश्रा	स०वि०स०	सदस्य
7.	श्रीमती स्वर्णा सिंह	स०वि०स०	सदस्य
8.	श्रीमती वीणा सिंह	स०वि०स०	सदस्य
9.	श्रीमती किरण देवी	स०वि०स०	सदस्य
10.	श्रीमती नीतु कुमारी	स०वि०स०	सदस्य
11.	श्रीमती मीना कुमारी	स०वि०स०	सदस्य
12.	श्रीमती संगीता कुमारी	स०वि०स०	सदस्य
13.	श्रीमती विभा देवी	स०वि०स०	सदस्य

श्रीमती अरूणा देवी, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

(शैलेन्द्र सिंह)
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-म०बा०स०-01/2022- 1775 / वि०स०, पटना, दिनांक-01 अप्रील, 2022 ई० ।

प्रतिलिपि:- माननीय सभापति एवं सदस्यगण, महिला एवं बाल विकास समिति, बिहार विधान सभा, पटना / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना / मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना / महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना / प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1.4.22

(अनिल कुमार जायसवाल)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-म०बा०स०-01/2022- 1775 / वि०स०, पटना, दिनांक- 01 अप्रील, 2022 ई० ।

प्रतिलिपि:- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1.4.22

(अनिल कुमार जायसवाल)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-म०बा०स०-01/2022- 1775 / वि०स०, पटना, दिनांक- 01 अप्रील, 2022 ई० ।

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1.4.22

(अनिल कुमार जायसवाल)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-म०बा०स०-01/2022- 1775 / वि०स०, पटना, दिनांक- 01 अप्रील, 2022 ई० ।

प्रतिलिपि:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय तथा प्रधान आप्त सचिव, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय / सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा, पटना के सूचनार्थ प्रेषित ।

1.4.22

(अनिल कुमार जायसवाल)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-म०बा०स०-01/2022- 1775 / वि०स०, पटना, दिनांक- 01 अप्रील, 2022 ई० ।

प्रतिलिपि:- उप सचिव / अवर सचिव / उप निदेशक / लेखा शाखा / जनसंपर्क शाखा / श्रव्य एवं दृश्य इकाई शाखा (बिहार विधान सभा के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए) / अवधायक शाखा / बजट शाखा, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1.4.22

(अनिल कुमार जायसवाल)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-म०बा०स०-01/2022- 1775 / वि०स०, पटना, दिनांक- 01 अप्रील, 2022 ई० ।

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना को सी०डी० एवं 02 (दो) हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित तथा उनसे अनुरोध है कि यथा प्रकाशित अधिसूचना की 25(पचीस) प्रतियाँ सभा सचिवालय के व्यवहारार्थ उपलब्ध करायी जाय ।

1.4.22

(अनिल कुमार जायसवाल)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

(4) बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के विधान सभा की समितियों के कार्य-संचालन संबंधी सामान्य नियम, जिनका उपबन्ध इस समिति की नियमावली में नहीं है, लागू होंगे।

महिला एवं बाल विकास समिति

292. च. (1) समिति का गठन – बिहार विधान सभा की एक महिला एवं बाल विकास समिति होगी, जिसका गठन अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा किया जाएगा। समिति में सभापति सहित अधिकतम पन्द्रह सदस्य होंगे। सरकार के कोई मंत्री समिति के सदस्य नहीं होंगे।

(2) समिति का कार्यकाल- समिति का कार्यकाल एक वर्ष के लिए या नई समिति के गठन के पूर्व तक रहेगा।

(3) समिति का कृत्य- (क) महिला एवं बाल विकास के सिद्धान्त एवं योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम, नियम, परिनियम एवं परिपत्र के कार्यान्वयन की समीक्षा करना;

(ख) महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास हेतु अपने प्रतिवेदन में अनुशंसा करना;

(ग) महिलाओं एवं बच्चों के विधिक सहायता की समीक्षा करना;

(घ) समिति राज्य में अवस्थित संस्थानों के कृत्यों एवं प्रलेखों की जाँच कर सकेगी जो राज्य सरकार या संघ सरकार से महिलाओं एवं बच्चों के विकास के नाम पर किसी भी रूप में अनुदान प्राप्त करती हो।

(ङ) समिति अन्य ऐसे कृत्य करेगी जो उसे सभा या अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।

(4) बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के विधान सभा की समितियों के कार्य-संचालन संबंधी सामान्य नियम, जिनका उपबंध इस समिति की नियमावली में नहीं है, लागू होंगे।

विधायक निधि अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति

292. छ. शून्य।

आचार समिति

292. ज. (1) आचार समिति का गठन- बिहार विधान सभा की एक आचार समिति होगी, जिसका गठन अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा किया जाएगा। समिति में सभापति सहित अधिकतम पन्द्रह सदस्य होंगे। सरकार के कोई मंत्री समिति के सदस्य नहीं होंगे।